



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 215 -का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/19-14-का०वि०नी०/87(एम.एफ.) दिनांक 22 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.11.2018 को सम्पन्न 142(28)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में श्रेष्ठता एवं वरिष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयन के सम्बन्ध में उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप सं० 1327-काविनी/राविप-29/96 दिनांक 11.07.1996, सं० 421-काविनी एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/2012 दिनांक 15.05.2012, सं० 414-काविनी एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/2012 दिनांक 15.05.2012, सं० 1849-काविनी/राविप-29/97-14-काविनी/87 दिनांक 08.10.1997, 850-काविनी एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/18-14-काविनी/87(एम०एफ०) दिनांक 26.07.2018 एवं 855-काविनी एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/18-14-काविनी/87(एम०एफ०) दिनांक 02.08.2018 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के अनुसार विभागीय चयन समिति अपनी विधियों (Own Methods) एवं प्रक्रियाओं (Procedures) के अनुसार चयन प्रक्रिया निष्पादित किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित विधियों/मापदण्डों में यथा आवश्यक समुचित परिवर्तन/परिवर्धन करने हेतु निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त चयन प्रक्रिया सम्पादित करेंगी।

2. उपरोक्तानुसार संशोधित व्यवस्थायें तत्काल प्रभाव, अर्थात् आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगी। उपरोक्त के फलस्वरूप तत्संगत सेवा विनियमावलियों के प्राविधान तथा इस विषय में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या : 215 (1)-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ०प्र० पा०का०लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पा०का०लि०/उ०प्र० पा०का०लि०।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
12. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
15. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
16. सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
19. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 14.11.2018 को सम्पन्न 142(28)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
21. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (काविनी)

38